भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1271

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति

1271. डॉ. के. सुधाकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देशभर में आयुष अस्पतालों को अनुसंधान और नवाचार केन्द्रों के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है और इस नीति में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आयुष अनुसंधान को मुख्य धारा की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आयुष अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित निधि आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को सुगम बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(च) इस राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने, इसे अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017, प्रकाशित की है, जो शिक्षण संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं के विकास, दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार, संस्थानों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को पोषित करने की आवश्यकता को मान्यता देती है। इसके अलावा, इसमें निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुसंधान और जन स्वास्थ्य कौशल की आवश्यकता को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा यह नीति, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन और इलाज की प्रक्रियाओं को मान्य करके ज्ञान प्रणालियों के स्तर पर आयुष पद्धतियों के एकीकरण का समर्थन करती है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, आयुर्ज्ञान योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि प्रदान करके बाह्य अनुसंधान गतिविधियों और शिक्षा के माध्यम से आयुष में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना है।

आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने आयुर्वेद नवाचार और उद्यमिता के लिए एआईआईए-इंक्यूबेशन सेंटर (एआईआईए-आईसीएआईएनई) की स्थापना की है ताकि नए युग के उद्यमों के समूह को केंद्रीकृत जा सके और अकादमिक ज्ञान का लाभ उठाकर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) और (घ): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान (2017) के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय नैतिक दिशानिर्देशों में एक परिशिष्ट प्रकाशित किया है ताकि एकीकृत चिकित्सा में अनुसंधान (आरआईएम) के लिए एक संरचित नैतिक ढांचा प्रदान किया जा सके। यह पहल पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण की खोज करने वाले अनुसंधान में नैतिक कठोरता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करके आयुष-आधारित एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल की वैज्ञानिक नींव को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आयुष अनुसंधान बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण सहायता आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों के साथ-साथ मंत्रालय की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत प्रदान की गई है।

(ङ): आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों, अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने कई अनुसंधान पहलों के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुष पद्धतियों के एकीकरण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। अनुसंधान परिषदें अंतर-आंतरिक और सहयोगात्मक दोनों तरीकों से अनुसंधान करती है। सारे भारत के प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में सहयोगात्मक नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस), कैंसर में उपचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (एसीटीआरईसी)-मुंबई, और कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) शामिल हैं, जो अंतःविषय अनुसंधान और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

सरकार आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईसी योजना) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को सुगम बना रही है, जिसके तहत आयुष मंत्रालय भारतीय आयुष दवा निर्माताओं / आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता को सुगम बनाता है; हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; बाहरी देशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला / संगोष्ठी आयोजित करके शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। आयुष मंत्रालय आई.सी. योजना के माध्यम से विदेशी प्रतिष्ठित संस्थानों / विश्वविद्यालयों, अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ आयुष अनुसंधान और विकास / शिक्षण और अन्य सहयोग को भी प्रायोजित करता है।

(च): उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****